

वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वन्य जीव अधिनियम 1972 (यथा संशोधित)
के प्रावधानों के अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत पीलीभीत-माधोटांडा मार्ग, किमी० 2 (चैनेज 1.396 से 1.439), गाटा सं० 288, ग्राम चिड़िया दाह, तहसील व जिला पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक पहुँच मार्ग निर्माण कार्य के समय संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्धक एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुपालन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


26/03/2020
(अभिनाश जैन)
उप महाप्रबन्धक-रिटेल
उत्पन्न एवं वित्तिय
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०
हिन्दुस्तान पेट्र० कॉर० लि०